कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 7253 /भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर,दिनांक 23/09/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत

कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर के द्वारा लैगू बांई तट नहर व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम पोड़ीकला, कर्रा, तहसील–अम्बिकुपर, तथा ग्राम कदनई, तहसील–मैनपाट में कुल 137 खातेदारों की कुल खसरा नं. 197, कुल रकबा 11.577 हे0 निजी भूमि (ग्राम पोड़ीकला, तहसील–अम्बिकापुर, की कुल 43 खातेदारों की कुल खसरा नं. 62, कुल रकबा 2.585 हे0, ग्राम कर्रा, तहसील–अम्बिकापुर, की कुल 54 खातेदारों की कुल खसरा नं. 86, कुल रकबा 3.703 हे0 तथा ग्राम कदनई, तहसील–मैनपाट की कुल 40 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49, कुल रकबा 5.289 हे0) के अर्जन हेतु प्रस्तावित है। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/ सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6363/भू–अर्जन/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 27/08/2019 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह के द्वारा पत्र क्रमांक 7142/भू–अर्जन/2019, दिनांक 19/09/2019 के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि –

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(ii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(iii) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(v) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(vi) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।

(vii) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

2– मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर के द्वारा लैगू बांई तट नहर व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम पोड़ीकला, कर्रा, तहसील–अम्बिकुपर, तथा ग्राम कदनई, तहसील–मैनपाट में कुल 137 खातेदारों की कुल खसरा नं. 197, कुल रकबा 11.577 हे0 निजी भूमि अर्जित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसा की गई है।

3– सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है –

(i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

(ii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।

(iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम पोड़ीकला, कर्रा, तहसील–अम्बिकुपर, तथा ग्राम कदनई, तहसील–मैनपाट में पूर्व में अर्जन किया गया है।

(v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।

23/9/19

2750

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) न्यूनतम विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर के द्वारा लैगू बांई तट नहर व्यपवर्तन योजना हेतु प्रस्तावित ग्राम पोड़ीकला, कर्रा, तहसील–अम्बिकापुर, तथा ग्राम कदनई, तहसील–मैनपाट में कुल 137 खातेदारों की कुल खसरा नं. 197, कुल रकबा 11.577 हे0 निजी भूमि (ग्राम पोड़ीकला, तहसील–अम्बिकापुर, की कुल 43 खातेदारों की कुल खसरा नं. 62, कुल रकबा 2.585 हे0, ग्राम कर्रा, तहसील–अम्बिकापुर, की कुल 54 खातेदारों की कुल खसरा नं. 86, कुल रकबा 3.703 हे0 तथा ग्राम कदनई, तहसील–मैनपाट की कुल 40 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49, कुल रकबा 5.289 हे0) का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।

23/9/19

(डॉ.सारांश मित्तर)
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

क्रमांक 7254/भू–अर्जन/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 23/09/2019

प्रतिलिपि–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।

4– अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) अम्बिकापुर जिला–सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन कराएं तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको आदेशित किया जाता है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 " के अन्तर्गत लैगू बांई तट नहर व्यपवर्तन योजना के लिए सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार ग्राम पोड़ीकला, तहसील–अम्बिकापुर, की कुल 43 खातेदारों की कुल खसरा नं. 62, कुल रकबा 2.585 हे0 तथा ग्राम कर्रा, तहसील–अम्बिकापुर, की कुल 54 खातेदारों की कुल खसरा नं. 86, कुल रकबा 3.703 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु पृथक–पृथक प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारुप तैयार कर प्रस्तुत करें।

5– अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) सीतापुर जिला–सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन कराएं तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको आदेशित किया जाता है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 " के अन्तर्गत लैगू बांई तट नहर व्यपवर्तन योजना के लिए सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार ग्राम कदनई, तहसील–मैनपाट की कुल 40 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49, कुल रकबा 5.289 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारुप तैयार कर प्रस्तुत करें।

6–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेवसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

7– प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

8– तहसीलदार, अम्बिकापुर/मैनपाट जिला–सरगुजा।

9– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अम्बिकापुर/मैनपाट जिला सरगुजा।

10– कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर